पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई0 (भाद्रपद 30, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–38

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	583–586	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1039–1045	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	155–172	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

September 12, 2019

No. 6265/XIV-80/Admin.A/2003–19–The Government has issued Notification/Retirement No. 287/xxx(4)/2019-04(06)/2019, dated 06.09.2019 along with corrigenda no. 298(1)/xxx(4)/2019-04(6)/2019, dated 12.09.2019, for compulsory retirement of Sri Rajeev Kumar, Chairman, Permanent Lok Adalat, Dehradun on 30.09.2019. The said Notification/Retirement reads as under :–

"वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2, भाग–2 से 4 में दिये गये अद्यावधिक संशोधित मूल नियम–56 के खण्ड–(सी) के अधिकारों का प्रयोग करके तथा उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 (यथासंशोधित, 2016) के नियम–25 "क" में उल्लिखित व्यवस्था के आधार पर राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि श्री राजीव कुमार, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, देहरादून दिनांक 30 सितम्बर, 2019 से सेवानिवृत हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव"।

Sd/-

Registrar General.

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

30 अगस्त, 2019 ई0

संख्या 393 / IX–1 / 246(2013) / 2019–शासन की अधिसूचना संख्या–18 / IX–1 / 246 / 2004 / 2016, दिनांक 07 जनवरी, 2016 का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–56 के उपनियम (7) में विहित प्राविधानों के अधीन श्री एस0 के0 सिंह, उप परिवहन आयुक्त को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

गृह अनुभाग–6

कार्यालय आदेश

02 सितम्बर, 2019 ई0

संख्या 689/बीस–6/2019–01(08)2007 टी0सी0–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016 के आधार पर चयनोपरान्त 26 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति के आधार पर शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति आदेश दिनांक 08.03.2019 द्वारा 25 अभ्यर्थियों को सहायक अभियोजन अधिकारी, वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड वेतन ₹ 4,600 (सातवें वेतनमान पुनरीक्षित वेतन ₹ 44,900–1,42,400, लेवल–7) के पद पर पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल में दिनांक 08.04.2019 को 01 माह का समय प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें से 03 अभ्यर्थियों श्री नवीन राणा, श्रीमती रीता रावत एवं श्री चन्द्र कान्त शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

2. कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2607/XXX(2)/2005, दिनांक 26.08.2005 के प्राविधानानुसार शासन के पत्र दिनांक 09.05.2019 द्वारा उक्त 03 अभ्यर्थियों को पुनः चयनित पद पर योगदान करने हेतु एक माह का समय प्रदान किया गया, फिर भी इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

3. श्री नवीन राणा एवं श्रीमती रीता रावत के प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.05.2019 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत उक्त 03 अभ्यर्थियों को अपरिहार्य परिस्थितियों में शासन के पत्र दिनांक 04.07.2019 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर 01 माह में कार्यभार ग्रहण करने का अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। इस क्रम में उक्त 03 अभ्यर्थियों में से श्री नवीन राणा द्वारा दिनांक 22.07.2019 को चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया, किन्तु श्रीमती रीता रावत एवं श्री चन्द्र कान्त शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

4. अतः सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से संस्तुत निम्नलिखित 02 अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर सहायक अभियोजन अधिकारी पर पद नियुक्ति के प्रति उनका अभ्यर्थन तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

श्रेष्ठता क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	उप श्रेणी
10	202597	श्रीमती रीता रावत	सामान्य	UF
24	205692	श्री चन्द्र कान्त शर्मा	सामान्य	PH(OL)

आज्ञा से,

सुनील श्री पांथरी,

अपर सचिव।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–1

विज्ञप्ति/स्थायीकरण

31 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 603/XXX–1/2019–25(61)/2007–उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 एवं उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005 के नियम–25(5) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित डिप्टी कलेक्टरों को निर्धारित परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से स्थायी किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री बृजेश कुमार तिवारी	30–06–2016
2.	श्री विजय नाथ शुक्ल	30–06–2016
3.	श्री चतर सिंह	30–06–2016

2. इस आदेश के क्रमवार का ज्येष्ठता से कोई संबंध नहीं है।

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव (प्रभारी)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/409–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई0 (भाद्रपद 30, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

12 जून, 2019 ई0

संख्या 156/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3 दिनांक 18–08–2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3 दिनांक 17–11–2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, डॉ0 संगीता भट्ट (प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग), मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करती हूँ:–

क0–सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	श्री सौरभ शाह पुत्र श्री दिनेश शाह पता– मोहल्ला जब्तागंज नजीवाबाद जिला बिजनौर उत्तरप्रदेश	20120079372/MBD/12 VALIDITY(T) 19-05-2020	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	12.05.2019 से 11.08.2019
2	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री दरमीयान सिह ढालवाला टिहरी गढ़वाल।	UK-1420030058523 VALIDITY(NT) 15-09-2023 VALIDITY(T) 10-06-2019	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	12.05.2019 से 11.08.2019
3	मो0 मोनु पुत्र मो0 शकील डटौली मुगल थाना फतेहपुर सहारनपुर (उ0प्र0)	UP11 20130021366 VALIDITY(NT) 12-12-2033	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	12.05.2019 से 11.08.2019
4	खेरी पुत्र श्री सोहन पाल पता– ए–614 महादेव पुरम दिल्ली रोड मेरठ(उ0प्र0)	UP15 20090012651 VALIDITY(NT) 05-12-2034 VALIDITY(T) 05-12-2020	ओवरलोड सवारी(भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	12.05.2019 से 11.08.2019
5	सुनिल पुत्र श्री जदवीर ग्राम नगला महलोनी तहसील– बयाना भरतपुर पिन– 321401	RJ 05 20090093465 VALIDITY(NT) 01-01-2029 VALIDITY(T) 30-08-2021	ओवरलोड सवारी(भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	12.05.2019 से 11.08.2019

आदेश

13 जून, 2019 ई0

संख्या 162 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2019–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3 दिनांक 18–08–2015 सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3 दिनांक 17–11–2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं डॉ0 संगीता भट्ट (प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग), मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करती हूँ:–

क0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	रवि कुमार पुत्र श्री सुमित पाल 91 बुआरा कलान मुस्तफाबाद, मुज्जफरनगर उ0प्र0 पिन– 251201	UP12 20101376704 VALIDITY(T) 31-01-2022 VALIDITY(T) 17-09-2030	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	13.06.2019 से 12.09.2019
2	संजय कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल केयर ऑफ श्री सदीप जगूड़ी भवन 145 वार्ड न0 04 टिहरी गढ़वाल पिन– 249201	UK-14 2016 0096021 VALIDITY(NT) 19-09-2036 VALIDITY(T) 15-11-2020	नशे की हालत में वाहन का संचालन	ARTO RUDRAPRAYAG	13.06.2019 से 12.09.2019

ह0 (अस्पष्ट)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आदेश

20 जून, 2019 ई0

संख्या 178/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019—मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट—3 दिनांक 18—08—2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट—3 दिनांक 17—11—2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं मोहित कुमार कोठारी (सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग), मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा—19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:—

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	श्री भरत कुमार पुत्र श्री बुद्धीलाल ग्राम नारंगी पो0 घाट चमोली पिन—246447	**UK-11 2015 0010089 VALIDITY(NT) 25-08-2035 VALIDITY(T) 09-05-2022**	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	20.06.2019 से 19.09.2019
2	श्री पन्नालाल तिवारी पुत्र श्री एस0पी0 तिवारी मकान स0,के0जी0—26 कवि नगर गाजियाबाद पिन 201001	**UP14 19870501181 VALIDITY(T) 15-08-2021**	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	20.06.2019 से 19.09.2019
3	मो0 याकूब पुत्र शरीफ अहमद पुल जटवाड़ा ज्वालापुर हरिद्वार पिन— 249407	**UK-08 1988 0074601 VALIDITY(T) 13-05-2021**	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	20.06.2019 से 19.09.2019
4	विक्की पुत्र श्री प्रेम सिंह ग्राम व पो0 नाथ नगर संत कबीर नगर उत्तरप्रदेश।	**UP58 20010141469 VALIDITY(T) 23-09-2019 VALIDITY(NT) 14-02-2021**	ओवरलोड़ सवारी(भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	20.06.2019 से 19.09.2019

ह0 (अस्पष्ट)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आदेश

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 329 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2019–सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3 दिनांक 18–08–2015 सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3 दिनांक 17–11–2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँः–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	श्री शमवीर सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मकान स0 20420 एस0टी0 न012 गुरू तेग बहादूर नगर भतिंडा पँजाब पिन–151001	**PB-0320060045357** VALIDITY (NT) 06-09-2020 VALIDITY (TR) 06-09-2021	ओवरलोड़ सवारी(भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	11.07.2019 से 10.10.2019
2	मोहन लाल पुत्र श्री संपत लाल 109 राजपुर रोड देहरादून पिन–248001	**UA-0720070016131** VALIDITY (NT) – 09-07-2027	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	11.07.2019 से 10.10.2019
3	आशीष सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह ग्राम गलनॉव पो0 शांतिसदन जनपद चमोली पिन– 246429	**UK-1120140006172** VALIDITY (NT) – 13-02-2034 VALIDITY (TR) – 07-03-2020	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	11.07.2019 से 10.10.2019
4	मो0 जीशान पुत्र श्री मो0 खुरशीद गुलाब नगर सुनेहरा पो0 रूड़की जनपद हरिद्वार।	**UK-0820050131265** VALIDITY (NT) – 07-04-2025 VALIDITY (TR) – 07-04-2020	ओवरलोड़ सवारी(भार वाहन	ARTO RUDRAPRAYAG	11.07.2019 से 10.10.2019
5	श्री सुरज रावत पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह रावत ग्राम नैथाना तल्ला पो0 किलकिलेश्वर देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल पिन– 249161	**UK09 20180003100** VALIDITY (NT) – 30-09-2038	ओवरस्पीड।	ARTO RUDRAPRAYAG	11.07.2019 से 10.10.2019

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

क. स.	लाईसेन्सधारक का नाम व पता	लाईसेंस संख्या / श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
1	2	3	4	5	6
1.	श्री करन सिंह पुत्र श्री कडक सिंह निवासी– ढालवाला ऋषिकेश	यूके–1420100013055 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	पुलिस अधीक्षक चमोली	शराब पीकर वाहन का संचालन	17–06–2019 से 16–12–2019 तक अनर्ह
2.	श्री कुवंर सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह निवासी– ग्राम बकनसुआ पो0 दुवाधार टिहरी गढवाल	यूके–1419940034202 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
3.	श्री बबलु पासवान पुत्र श्री सहदेव पासवान निवासी– स्वर्ग आश्रम पौडी गढवाल	यूके–1419940034202 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में ओवर लोड	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
4.	श्री अनुपम खडका पुत्र श्री राजपाल सिंह खडका निवासी– फोरस्ट कोलोली वीरभद्र ऋषिकेश	यूके–1420150086599 कार, व मोटर साईकिल	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
5.	श्री कुन्दन सिंह कोठियाल पुत्र श्री डी.एस.कोठियाल निवासी– मुनि की रेती टिहरी गढवाल	यूके–1419940033928 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	पुलिस अधीक्षक चमोली	भार वाहन में ओवर लोड	28–06–2019 से 27–09–2019 तक अनर्ह
6.	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी– चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	यूके–1020180017553 कार व मोटर साईकिल	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
7.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मांगरा निवासी– मनोहरपुर सहारनपुर उ0प्र0	यूपी–1119970009365 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
8.	श्री विनोद सिंह पुत्र श्री बलन्त सिंह निवासी–, मशोली चमोली	यूके–1120120002310 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
9.	श्री आशमहोमद पुत्र श्री खचेडू शाह निवासी– ग्राम सिरसा नोगांव अमरोहा यूपी	यूपी–23 / 0605645 / 19 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
10.	श्री होशियार सिंह पुत्र श्री गेंदा लाल निवासी– पैशवा खैर अलीगढ यूपी	यूपी–8120100012880 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
11.	श्री अब्बदूल रजाक पुत्र श्री अबदूल वाहिद निवासी– मिर्जापुर बेहट यूपी	यूपी–1120120012575 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
12.	श्री अलताफ पुत्र श्री यामीन निवासी– अहबाब नगर हरिद्वार	यूके–0820150161692 मोटर साईकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह

1	2	3	4	5	6
13.	श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी– सहसपुर विकासनगर देहरादून	यूके–0720110171172 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
14.	श्री जसवार अली पुत्र श्री लियाकत अली निवासी– चौली रुडकी हरिद्वार	यूके–20040102567 मोटर साईकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
15	श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री हरि लाल निवासी– 105 कमल विहार गेल रोड अम्बाला हरियाणा	एचआर–3720090075126 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	ओवर स्पीड	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
16	श्री सुकान्त पुत्र श्री हरपाल निवासी– 417 ग्राम चूरनी करनाल हरियाणा	एचआर–4520160094857 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	ओवर स्पीड	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह
17	श्री पवन कुमार पुत्र श्री शयोपाल निवासी– इसलाम नगर इन्द्री करनाल हरियाणा	एचआर–7520120017303 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	28–06–2019 से 27–09–2019 तक अनर्ह
18	श्री हकीम दीन पुत्र श्री रसूल खान निवासी– नोनगाबाद अलवर राजस्थान	आर जे–0220160001450 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में ओवर लोड	28–06–2019 से 27–09–2019 तक अनर्ह
19	श्री जैश राज पुत्र श्री काली करण निवासी– जे.पी.लि. दोबाटा टिहरी गढवाल	यूके–1419890019583 कार, हल्का मोटर वाहन (व्सवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ ऋषिकेश	भार वाहन में ओवर लोड	17–06–2019 से 16–09–2019 तक अनर्ह

डा0 अनीता चमोला,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/409–भाग 1–क 2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 ई० (भाद्रपद 30, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार

सार्वजनिक सूचना

24 मई, 2019 ई०

पत्रांक–802/उपविधि–प्रकाशन/2019–20—नगर पालिका परिषद, शिवालिकनगर, हरिद्वार की सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, **नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–147 की उपधारा–1 खण्ड (क) से (छ)** के तहत सम्पत्ति/भवनकर अभिलेखों एवं सूचियों के नाम परिवर्तन एवं संशोधन हेतु **"सम्पत्ति/भवनकर नाम परिवर्तन एवं संशोधन उपविधि–2019"** बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

"सम्पत्ति/भवनकर नाम परिवर्तन एवं संशोधन उपविधि–2019"

1– **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ –**

(क) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर **"सम्पत्ति/भवनकर नाम परिवर्तन एवं संशोधन उपविधि–2019"** कहलायेगी

(ख) यह नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, द्वारा प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2– **परिभाषाएं–**

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में –

(क) **"नगर पालिका"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर से है।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर की सीमाओं से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ड़) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) से है।

(छ) **"अभिलेखों"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर कार्यालय में सम्पत्ति/भवनकर अनुरक्षित दस्तावेजों, रजिस्टर व पत्रावली आदि अभिलेखो से है।

(ज) **"नाम परिर्वतन"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर की सीमन्तर्गत प्रवृत्त अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन आदि) के नाम परिवर्तन एवं संशोधन से है।

3– नगर पालिका के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति (भूमि भवन आदि) के प्रत्येक उस अध्यासी का जो उत्ताराधिकारी, विक्रयपत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या किसी अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार पर अचल सम्पत्ति की जो उसके अध्यासन में है, स्वामी है या अपने आप को स्वामी समझता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर उसका कर्तव्य होगा कि वह इन उपविधियों के अन्तर्गत उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दाखिल खारिज की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4– उपरोक्त नियम 3 के अर्न्तगत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी को नगर पालिका के समस्त बकायों को यदि कोई हो, के सम्पूर्ण अदायगी का प्रमाण–पत्र एवं दाखिल खारिज हेतु निर्धारित शुल्क जिसका विवरण नियम–18 के अर्न्तगत अनुसूची में किया गया है, के अनुसार अदा कर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उसका प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5– दाखिल–खारिज हेतु भुगतान किया जाने वाला शुल्क नगर पालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा एवं दाखिल खारिज शुल्क प्रत्येक प्रार्थना पत्र के लिए पृथक–पृथक भुगतान करना होगा, एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नही किया जायेगा और ना ही इसका समायोजन किया जायेगा।

6– दाखिल–खारिज हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में निम्न विवरण अनिवार्य रूप से देने होंगे –

(क) अचल सम्पत्ति (भूमि या भवन आदि) की संख्या एंव क्षेत्रफल –

(ख) चौहद्दी–

(ग) नगर पालिका अभिलेखों में अंकित वर्तमान प्रवृष्टि का विवरण –

(घ) मार्ग एंव मौहल्ले का नाम जिसमें अचल सम्पत्ति स्थित हो –

(ङ) उत्तराधिकार, विक्रयपत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार व दस्तावेज (जो कि किसी स्तर पर नियमानुसार पंजीकृत अवश्य हो)

(च) उन व्यक्तियों के नाम जिनको प्रार्थी अपने पक्ष में गवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है।

(छ) अचल सम्पत्ति (भूमि एवं भवन आदि) की माप –

7– प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्राप्त होने पर मौके की जॉच हेतु किसी भी नगर पालिका कर्मचारी को आदेश किया जायेगा जो अपनी जॉच रिपोर्ट एक सप्ताह में देगा।

8– नाम परिवर्तन, संशोधन सूचना का प्रकाशन सम्पत्ति से सम्बन्धित पक्षों के सूचनार्थ स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में किया जायेगा, यदि सम्पत्ति स्वामी उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों अथवा दूसरे राज्यों के निवासी है तो इश्तिहार (सूचना) उन स्थानों पर व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्र अथवा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा। स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के बिलों का भुगतान पालिका द्वारा किया जायेगा और उत्तराखण्ड या अन्य राज्यों से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र एवं दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र के बिलों का भुगतान आवेदक द्वारा ही किया जायेगा।

9– इश्तिहार जारी होने के बाद इस अचल सम्पत्ति के लिए दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इश्तिहार जारी होने के 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति निर्धारित शुल्क जमा कर साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगा।

10– आपत्तिकर्ता को आपत्ति के साथ नगर पालिका के समस्त बकाया करों की अदायगी का प्रमाण पत्र पेश करना होगा, इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता आपत्ति रसीद संलग्न करेगा तभी उसकी आपत्ति स्वीकार की जायेगी अन्यथा निरस्त कर दी जायेगी।

11– यदि आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त कर दी जाती है तो आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति के साथ जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।

12– दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान समस्त साक्ष्य लिखित एवं गवाहों के रूप में अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करने होगें।

13– समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर दाखिल खारिज, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में कर दिया जायेगा। उसकी सूचना/आदेश का संक्षिप्त सार रजिस्टर व कर निर्धारण सूची तथा मांग वसूली रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

14– दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान कोई विवाद स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य बिन्दु पर उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष नगर पालिका का निर्णय अन्तिम होगा।

15– दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान यदि कोई पक्ष कार्यवाही के विरूद्व न्यायालय में निषेधाज्ञा प्रस्तुत करता है, तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्बन्धित न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक रोक दी जायेगी।

16– दाखिल खारिज की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त किसी पक्ष के मा0 न्यायालय में जाने पर मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसके प्रार्थना पत्र पर तद्नुसार अभिलेख में संशोधन कर दिया जायेगा।

17– नाम परिवर्तन संशोधन (दाखिल खारिज) की कार्यवाही प्रत्येक दशा मं 60 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी।

18– नाम परिवर्तन, संशोधन (दाखिल खारिज) करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ निम्नलिखित अनुसूची में निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

अनुसूची–शुल्क (धनराशि में)

क.	आवासीय भवनों का रजिस्ट्रर्ड बैनामे के आधार पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क–	3,500.00
ख.	व्यवसायिक भवन दुकान का रजिस्ट्रर्ड बैनामे पर पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क–	7,000.00
ग.	आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के बैनामे पर लगने वाले स्टाम्प का मूल्य यदि (आवासीय हेतु रू0 1.00 लाख एवं व्यवसायिक भवन हेतु रू0 1.50 लाख) से अधिक है तो अधिक स्टाम्प की धनराशि पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा।	2 प्रतिशत
घ.	विरासतन/मृत्यू प्रमाण पत्र/दान पत्र/के आधार पर नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क– आवासीय– व्यवसायिक–	 3,000.00 6,000.00
ड.	भूमि/प्लाट रजिस्ट्रर्ड बैनामे के आधार पर अभिलेखों में अंकन एवं नाम परिवर्तन व संशोधन शुल्क–	4,000.00
च.	भवनकर सूचियों में नाम अंकन, नाम परिवर्तन, एवं संशोधन हेतु आवेदन पत्र शुल्क–	5,00.00
छ.	आपत्ति शुल्क–	5,00.00
य.	भवनकर अभिलेखों में नाम परिवर्तन एवं संशोधन में सम्पत्ति स्वामी द्वारा बैंक या वित्तीय कम्पनी से ऋण लिये जाने बाबत् सम्पत्ति का पालिका अभिलेखों में मोडगेज(बंधक) अंकित किये जाने बावत् शुल्क– रू 5.00 लाख की सीमा तक– रू 8.00 लाख से अधिक ऋण की धनराशि पर –	 2000.00 01 प्रतिशत
	मुक्ति धार्मिक और राजकीय शिक्षण संस्थायें नाम परिवर्तन, संशोधन शुल्क से मुक्त रहेगें।	

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किन्ही भी उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अर्थ–दण्ड दिया जायेगा, जो रूपये 1,000.00 तक हो सकता है। और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रथम दोषसिद्धी की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रूपये 2,50.00 प्रति दिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

सार्वजनिक सूचना

24 मई, 2019 ई0

पत्रांक–803/उपविधि–प्रकाशन/2019–20–नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड–(ञ) का (छ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पालिका अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण या उनकी प्रतियों की नकल दिये जाने के लिए **"नगर पालिका नकल व प्रमाण पत्र शुल्क उपविधि–2019"** बनाई जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्रों में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

नगर पालिका नकल व प्रमाण पत्र शुल्क उपविधि–2019

1. **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–**

क– यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार **"नगर पालिका नकल शुल्क/प्रमाण पत्र उपविधि–2019"** कहलायेगी।

ख– यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग– यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाऐं–**

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "नगर पालिका" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार से हैं।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की सीमाओं से हैं।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार से हैं।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड़)"बोर्ड" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है।

(च)"अधिनियम" का तात्पर्य **उ0 प्र0, नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)** संशोधन एवं उपान्तण आदेश–2002 से है।

(छ) "अनुज्ञा" का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से हैं।

3. अधिनियम द्वारा व्यवस्थित या उसके अधीन से भिन्न के सिवाय नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार से सम्बन्धित या उसके कब्जे मे रखे किसी अभिलेख या दस्तावेज की कोई प्रति या उससे उद्धरण नही दिया जायेगा, न ही किसी ऐसे व्यक्ति को किसी अभिलेख या दस्तावेज की निरीक्षण की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना दी जायेगी।

4. उर्पयुक्त के सिवाय, कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे अभिलेख या दस्तावेज का निरीक्षण करना चाहे अथवा उसकी कोई प्रति या उसके उद्धरण प्राप्त करना चाहे, अधिशासी अधिकारी को लिखित आवेदन–पत्र देगा जिसमे अभिलेख या दस्तावेज का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जायेगा। आवेदन–पत्र पर न्यायालय फीसं स्टाम्प लगाया जायेगा।

5. नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार तथा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी अधिकारी के बीच पत्र व्यवहार जहॉ अधिशासी अधिकारी के विचार मे उनका निरीक्षण किसी प्रकार से नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार के हित के लिए हानिकार हो, निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी; ऐसे अभिलेखों से उद्धरणों के प्रतियां भी अस्वीकार कर दी जायेंगी।

6. किसी ऐसे दस्तावेज से कोई उद्धरण नही दिया जायेगा जिसको शेष पत्रावली से पृथक पढ़ने पर नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार अध्यक्ष या कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश का गलत प्रयोग हो जाता हो।

निरीक्षण, नकल एवं प्रमाण पत्र शुल्क दरें।

(क)	कार्यवृत्त पुस्तक, कर निर्धारण सूची से भिन्न किसी दस्तावेज या अभिलेख निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने पर	100 रूपया
(ख)	किसी दस्तावेज का पता लगाने या खोज के प्रयोजनार्थ किसी अनुक्रमणिका रजिस्टर की छानबीन के लिए प्रत्येक वर्ष की छानबीन हेतु	50 रूपया
(ग)	(य) किसी दस्तावेज या कार्यालय अभिलेख से प्रतिलिपि या उद्धरण बनाने के लिए	रू0 200 की न्यूनतम फीस के अधीन रहते हुए 60 शब्दों से अधिक के प्रति पृष्ट या किसी पृष्ट के आगे के लिए रू0 50–00
	(र) यदि मूल सारणीबद्ध रूप मे हो	(य) के लिए प्रभार से दो गुना।
(घ)	विविध प्रमाण पत्र शुल्क	रू0 50–00

सार्वजनिक सूचना

03 जून, 2019 ई0

पत्रांक–824/उपविधि–प्रकाशन/2019–20–नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128(1)(I)** के तहत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्तिकर/भवनकर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार द्वारा **"सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2019"** बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2019

1–संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः–

(क) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार **"सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2019"** कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाऐं

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में –

(क) **"नगर पालिका "** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार से है।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की सीमा से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ङ) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) से है।

(छ) **"वार्षिक मूल्यांकन"** का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–140 व धारा–141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) **"सम्पत्ति/भवनकर"** का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(झ) **"समिति"** का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(प) **"भवन एवं भूमि"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।

(फ) **"स्वामी"** का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है।

(ब) **"अध्यासी"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3– वार्षिक मूल्यांकन– नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–141(2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये नगर पालिका द्वारा समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हों, या न हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन–निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि के प्रचलित सैडूयल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्यमय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 के प्रयोजन के लिये कलैक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर बोर्ड द्वारा तय किया गया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किये जायें।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम् हों, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पालिका की राय में असाधारण परिस्थतियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पालिका किसी भी कम धनराशि पर जिसमे एकरूपता, औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो, का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती हैं।

1– वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

(i) कक्ष– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ii) आच्छादित बरामदा– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(iii) बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह– आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(iv) गैराज– आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,

(v) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आछादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

2– उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम–1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3– सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4– भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर– भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 12.5 प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क) मन्दिर, गुरूद्वारा, मस्जिद अथव दूसरे धार्मिक संस्थाऐं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं हांगे।

(ख) अनाथालाय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों।

(ग) नगर पालिका की समस्त सम्पत्तियाँ।

5– कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन– भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पत्ति/भवनकर का निर्धारण किया जा चुका हैं, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो वे नगर पालिका कार्यालय में आकर कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6– आपत्तियों का निस्तारण– भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने की स्थिति मे अधिशासी अधिकारी बोर्ड द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–112 के अर्न्तगत शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के उपरांत निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(i) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी,

(ii) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,

(iii) शासनादेश सं0 2054/नौ–9–97–79ज/97 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

7– कर निर्धारण सूचीयों का अभीप्रमाणीकरण और अभिरक्षा– (क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पालिका कार्यालय में जमा की जायेगी,

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचीयों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवनकर माँग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुये नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

8– पंचवर्षीय भवनकर निर्धारण की औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात सम्पत्ति/भवनकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सम्पत्ति/भवनकर की धनराशि भवनस्वामी/अध्यासी को पालिका कार्यालय अथवा निकाय द्वारा वसूली हेतु अधिकृत कार्मिक को जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि सम्पत्ति कर/भवनकर की धनराशि 31 मार्च तक जमा नही होती है तो बकाया धनराशि पर प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत अधिभार देना होगा, अन्यथा बकाया धनराशि अधिभार सहित भू–राजस्व के रूप मे वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

9– सम्पत्ति/भवनकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष मे 30 अक्टूबर तक सम्पत्ति/भवनकर की धनराशि एकमुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जो बकाया सम्पत्ति/भवनकर के बकायेदारों पर लागू नही होगी।

10– कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की ऐसेसमेंन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन–पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जावेगा अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

11– जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 143–(3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सक्षम न्यायालय उसको रद्द न कर दे।

12— (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जावे तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

13— (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेगें।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई0 के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।

14— उ0प्र0नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–151(1) से (5) तक दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत अनअध्यासन के कारण सम्पत्ति कर/भवनकर मे तद्नुसार छूट प्रदान की जायेगी।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लधंन करने के लिये अर्थदण्ड रू0 2000.00 (दो हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्व हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रू0 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

सार्वजनिक सूचना

03 जून, 2019 ई0

पत्रांक–823/यूजर चार्ज उपविधि/2019–20–नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 **(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त)** की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड–(झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011** के क्रियान्वयन हेतु **"नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2019"** बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2019

सक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की **"नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2019"** कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषायें:–

(i) **"नगरीय ठोस अपशिष्ठ"** के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) **"उपविधि"** से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

(iii) **"नगर पालिका"** से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार से है;

(iv) **"अधिशासी अधिकारी"** से अभिप्रेत उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनिय 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) **"सफाई निरीक्षक"** से अभिप्रेत नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पालिका बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) **"निरीक्षण अधिकारी"** का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) **"नियम"** से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड मे यथापृवृत्त) से है।

(ix) "**जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट**" (biodegradable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ ,खाना, सब्जी एवं फलो के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "**जीव अनाशित अपशिष्ठ**" (Non-biodegradable waste) का अभिप्रेत ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(xi) "**पुनर्चक्रणीय अपशिष्ठ**" (recyclable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लास्टिक, पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "**जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ**" (biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "**संग्रहण**" (collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) "**कचरा खाद बनाने**" (composting) एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है जिसमे कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "**ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट**" (demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) "**व्ययन**" (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) "**भूमिकरण**" (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/ कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) "**निक्षालितक**" (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) "**नगर पालिका प्राधिकारी**" (municipal authority) में म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जिसके अन्तर्गत अधीसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए०सी०) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोय अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "**स्थानीय प्राधिकारी**" (local authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

(xxi) "**नगरीय ठोस अपशिष्ट**" (municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "**सुविधा के परिचालक**" (operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) **"पुनर्चक्रण"** (recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामाग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता हैं। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता हैं।

(xxiv) **"पृथक्करण"** (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) **"भण्डारण"** (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) **"परिवहन"** (transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरें में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, के द्वार निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार घर–घर (Door To Door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

~~10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।~~

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

~~12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।~~

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर

चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस मे नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रू० 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार रू0 500.00 दूसरी बार पर रू0 1000.00 एवं तीसरी बार मे रू0 5,000.00 पैनेल्टी देनी होगी।

17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सडक या नाली के उपर से नही हटाता है तो प्रथम बार रू 500.00, द्वितीय बार रू0 1,000.00 एवं तीसरी बार में रू 2,000.00 की पेनल्टी/अर्थदण्ड देनी होगी।

18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सेवा शुल्क (**User charges**) की दरें निम्नवत है।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User charges) की दरें

क0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	जैविक–अजैविक कूडा अलग–अलग पहुचाने पर	मिश्रित कूडा सडक तक पहुचाने पर	जैविक–अजैविक कूडा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूडा देने पर
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5	10	15	20
2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	10	15	20	25
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	20	50	30	50
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125
5.	रेस्टोरेन्ट	300	600	200	300
6.	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बरातघर	1000	1500	1000	1500
9.	बैकरी	150	200	150	200
10.	कार्यालय	50	100	50	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	20	25	25	25
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	400	600	300	500
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15.	दुकान	100	200	150	175
16.	फैक्ट्री/उघोग	500	800	500	600
17.	वर्कशाप/कबाडी	1000	1500	500	700

18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा आदि पर उपरोक्त दरें लागू नही होगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड मे यथापृवृत्त) की धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली, 2019 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू० 5000.00 (रू० पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू० 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार में निहित होगा।

सार्वजनिक सूचना

03 जून, 2019 ई0

पत्रांक–825/मोबा0टा0/2019–20–नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–128(2) खण्ड–(1)(2) एवं धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड–(ज) का (ड) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका सीमान्तर्गत मोबाईल टावरों की स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण हेतु **"नगर पालिका मोबाईल टावर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2019"** बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर, हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेगी। बादमियाद (सीमा समाप्त होने के पश्चात्) प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

नगरपालिका मोबाईल टावर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2019

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर हरिद्वार की "नगर पालिका मोबाईल टावर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2019" कहलायेगी।
2. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषायें:—

(i) "उपविधि" से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

(ii) "नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर से है;

(iii) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम–1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है,

(iv) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम–1916 के अन्तर्गत निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(v) "बोर्ड" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम–1916 के अन्तर्गत निर्वाचित बोर्ड से है।

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता, अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी द्वारा मोबाईल टावरो के निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है।

(vii) **"अधिनियम"** से तात्पर्य उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत्त), से है।

(viii) **"मोबाईल टावर'** से तात्पर्य विभिन्न मोबाईल निजी कम्पनियों द्वारा नगर पालिका शिवालिकनगर सीमान्तर्गत निजी, सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्तियों पर स्थापित मोबाईल टावर से है।

3. नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर हरिद्वार द्वारा पालिका आय में वृद्वि एवं जनहित में नगर पालिका सीमान्तर्गत विभिन्न कम्पनियों द्वारा स्थापित किये गये या स्थापित किये जाने वाले मोबाईल टावरों के संचालन एवं नियन्त्रण हेतु निम्नलिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर हरिद्वार के कार्यालय में आवेदन कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।

क– नगर पालिका सीमान्तर्गत वर्तमान में स्थापित मोबाईल टावर या भविष्य में स्थापित होने वाले मोबाईल टावर की मोबाईल कम्पनियॉ निजी भूमि, छत, सरकारी एवं अर्धसरकारी सम्पत्तियों पर टावर लगाने से पूर्व नगरपालिका का शुल्क रू0 5000/– है, जमा कर— अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

ख– शिवालिकनगर शहर में जिस भूमि व स्थान पर मोबाईल टावर स्थापित है या स्थापित होना है उसका मानचित्र, कवर्ड भूमि का क्षेत्रफल एवं उस क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

ग– मोबाईल कम्पनियों द्वारा भू–स्वामी से मोबाईल टावर लगाने हेतु किये गये अनुबन्ध की प्रति एवं टावर की क्षमता के प्रमाण उपलब्ध कराने होगें।

घ– लोक सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत मोबाईल कम्पनियों द्वारा स्थापित टावर का तकनीकी परीक्षण कराकर जॉच रिर्पोट की एक प्रति एवं जन स्वास्थ्य पर मोबाईल टावर द्वारा निकलने वाले रेडियेशन (तरगें) आदि से कोई कुप्रभाव नही पड़ेगा, इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा।

4– नगर पालिका सीमान्तर्गत वर्तमान में स्थापित मोबाईल टावर कम्पनियों द्वारा भू–स्वामी से किये गये अनुबन्ध की प्रतियॉ, भूमि का क्षेत्रफल एवं निर्धारित मासिक एवं वार्षिक किराया की धनराशि व लीज का विवरण देना होगा। यदि मोबाईल कम्पनियों द्वारा यह विवरण नोटिस दिये जाने के 07 दिन के अन्दर उपलब्ध नही कराया जाता है तो नगर पालिका अधिनियम–1916 एवं इस उपविधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

5– शिवालिकनगर शहर में स्थापित होने की तिथि से मोबाईल टावर द्वारा कम्पनी को प्राप्त आय का विवरण अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले मोबाईल टावर की आय का विवरण प्रतिवर्ष नगर पालिका परिषद को देना होगा।

6– नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थापित मोबाईल टावर के अनुबन्धित किराया एवं शिवालिकनगर शहर से कम्पनियों को प्राप्त आय पर निम्नलिखित शुल्क नगर पालिका कोष में जमा करने होगें :–

क्र0सं0	विवरण	कम्पनी से अनुबन्धित किराया पर शुल्क	सम्पत्ति स्वामी से अनुबन्धित किराया
1	मोबाईल टावर से अनुबन्धित किराये पर शुल्क।	12 प्रतिशत मासिक	एक माह का किराया

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) एवं **"नगर पालिका मोबाईल टावर स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण उपविधि–2019"** के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जिसके लिए कम से कम रू० 5000.00 एवं अधिक से अधिक रू0 20000.00 का अर्थदण्ड होगा।

गुरमीत सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर,
हरिद्वार।

राजीव शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, शिवालिकनगर,
हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/409–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।